अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–37–64/2012–13

अपीलार्थी – अनमोला देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1713–1/प्रो0 दिनांक 11.10.2012 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मुख्य रूप से आरोप यह है कि सी0डी0पी0ओ0 श्रीमती निवेदिता सेन परियोजना महिषी ने दिनांक 30.05.2012 को 8:20 बजे पूर्वाह्न में केन्द्र सं0– 38 आरापट्टी पंचायत स्थित प्रा0वि0 मुरली आँगनबाड़ी केन्द्र का औचक जाँच किया गया। जाँच के क्रम में केन्द्र संचालन में निम्न अनियमितताऐं पाई गई :–

(i) केन्द्र पर एक भी बच्चा नहीं था

(ii) केन्द्र बंद था

(iii) सेविका एवं सहायिका अनुपस्थित थी

सी0डी0पी0ओ0 महिषी ने अपने प्रतिवेदन मे सेविका एवं सहायिका दोनों को चयन मुक्त करने की अनुशंशा की है।

उपर्युक्त अनियमितता के संबंध में आँगनबाड़ी केन्द्र – 38 की आँगनबाड़ी सेविका श्रीमती अनमोला देवी एवं

सहायिका श्रीमती मुरवी देवी से कार्यालय पत्रांक 1077–1/प्रो0 दिनांक 28.06.2012 को सुनवाई की तिथि 09.07.2012 निर्धारित करते हुए स्पष्टीकरण /पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया। दिनांक 09.07. 2012 को सुनवाई में सी0डी0पी0ओ0 महिषी अनुपस्थित थी, किन्तु महिला पर्यवेक्षिका पिंकी कुमारी सेविका श्रीमती अनमोला देवी /सहायिका श्रमती मुरवी देवी ने उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता /सरकारी अधिवक्ता ने बहस में भाग लिया, एवं अपना–अपना पक्ष, साक्ष्य कागजात, न्यायालय के सम्मुख समर्पित किये। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि सी0डी0पी0ओ0 महिषी ने दिनांक 30.05.2012 को 8:25 बजे पूर्वाह्न में केन्द्र पर आई ही नहीं थी, उक्त तिथि एवं समय पर सहायिका केन्द्र पर मौजूद थी लाभुक बच्चें भी थे वे अपनी सरकारी गाड़ी से केन्द्र के बगल के रोड से गुजर रही थी, सी0डी0पी0ओ0 तथा सेविका/सहायिका ने एक दुसरे को देखा भी सेविका/सहायिका ने सोचा गया कि सी0डी0पी0ओ0 साहिवा आयेगी, किन्तु केन्द्र पर नहीं आकर आगे बढती चली गई, और सरा–सर गलत रिर्पोट उन्होने Table बैठकर तैयार कर लिया एवं गलत रिर्पोट जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा को सौंप दिया। इसका मतलब साफ था कि सी0डी0पी0ओ0 महिषी केन्द्र पर न आकर न कोई जाँच किया बल्कि Table Repot गलत रूप से तैयार कर प्रतिवेदित किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सेविका श्रीमती अनमोला देवी दिनांक 27.10.2012 से दिनांक 31.10.2012 तक (पाँच) दिवसीय सबला उन्मुखीकरण कोर्स में प्रशिक्षण आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र गंगजला सहरसा में प्राप्त की है। जो इस बात का धोतक है कि सी0डी0पी0ओ0 द्वारा लगाया गया आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है, क्योंकि अगर अपीलार्थी सेविका को 11.10.2012 से चयन मुक्त कर दिया गया तो फिर चयन मुक्त सेविका को दिनांक 27.10.2012 से 31.10.2012 प्रशिक्षण कैसे दिलाया गया, प्रशिक्षण में भेजे जाने का निर्णय सी0डी0पी0ओ0 महिषी ने ही किया होगा?

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी ग्रामीण एवं लाभुक वर्ग द्वारा केन्द्र संचालन में अनियमितता होने या कोई शिकायत दर्ज ही नहीं किया। अपीलार्थी सेविका द्वारा केन्द्र से संबंधित टीकाकरण कार्य भी 06.11. 2012 से दिनांक 10.11.2012 तक किया गया, एवं टी0एच0आर0

वितरण कार्य भी 19.10.2012 को सही रूप से किया गया, जो निरीक्षण पुस्तिका में दर्ज है, जिसे महिला पर्यवेक्षिका ने अंकित किए है, जिसे अवलोकन भी कराया गया। अतः निम्न न्यायालय का चयन मुक्ति आदेश ज्ञापांक 1713–1 दिनांक 11.10.2012 अर्थहीन एवं त्रुटिपूर्ण आदेश है। उन्होंने यह भी बताया कि सी0डी0पी0ओ0 महिषी ने निरीक्षण तिथि दिनांक 30.05.2012 को कोई जाँच केन्द्र पर जाकर किया ही नहीं बल्कि office में बैठ कर Table Repot तैयार कर गलत व्याख्या करके जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा को रिर्पोट भेजा। न ही कोई लाभुक का कोई बयान लिया गया, और न ही किसी जनप्रतिनिधि या निरीक्षण पंजी में कोई निरीक्षण रिर्पोट ही दर्ज किया, उन्होंने यह भी बताया निम्न न्यायालय सहरसा का वाद सं0–88/2012–13 को सुनवाई की तिथि 09.07.2012 को रखा गया , उसमें सी0डी0पी0ओ0 महिषी न तो उपस्थित हुई और न कोई अपना पक्ष रखा जो परिलक्षित करता है कि गलत रिर्पोट तैयार कर गलत तथ्य सौंपा जो उनके गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का प्रमाण मिलता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बाते रखी कि केन्द्र पर निरीक्षण पंजी का अवलोकन करने से पता चलता है कि दिनांक 03.11.2012 तक LS या किसी अन्य वरीय पदाधिकारी ने जो निरीक्षण टिप्पणी निरीक्षण पंजी में दर्ज की है उसमें कही भी अंकित नहीं है कि केन्द्र अनियमित तरीके से चलता है, या केन्द्र बंद रहता है ऐसी बातें कही जिक्र नहीं है बल्कि केन्द्र संचालन के बारे में सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी ने अच्छे तरीके से संचालित होने की बात लिखी है इसका मतलब साफ है कि सी0डी0पी0ओ0 सिर्फ Table Repot तैयार कर गलत व्यख्या करके सेविका को तंग करना चाहती है, एवं उनकी मंशा सिर्फ अवैध रकम उगाही से ही ताल्लुकात रखती है।

उपर्युक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सी0डी0पी0ओ0 महिषी का जाँच निरीक्षण प्रतिवेदन केन्द्र पर न जाकर office में Table पर बैठकर तैयार किया गया है न तो केन्द्र के निरीक्षण पंजी में अनियमितताऐं होने की शिकायत दर्ज की न ही केन्द्र पर उपस्थित किसी लाभुकों या उसके अभिभावक का बयान लिया गया। स्वतः स्पष्ट है कि सी0डी0पी0ओ0 पूर्वाग्रह से ग्रसित थी, office में बैठकर Table पर रिर्पोट तैयार कर गलत व्याख्या करके जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को रिर्पोट भेजी अपीलार्थी सेविका को एक तरफ दिनांक

27.10.2012 से 31.10.2012 तक प्रशिक्षण में भेजी तथा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी निर्गत कराई, ये दोनों बाते विरोधाभासी है। जब उन्हें 11.10. 2012 से चयन मुक्ति आदेश (वाद सं0– 88/2012–13) में दे ही दिया गया तो पल्स पोलियों अभियान में दिनांक 06.11.2012से 10.11. 2012 तक duty में भी लगाया गया एवं 19.10.2012 को उनसे टी0एच0आर0 वितरण भी कराया गया। क्या इस आदेश में सी0डी0पी0ओ0महिषी संलिप्त नहीं है? यहाँ सी0डी0पी0ओ0 महिषी निवेदिता सेन का क्रियाकलाप पूर्णतः पूर्वाग्रह से ग्रसित दिखता है। यहां विभागीय मार्गदर्शिका –2011 के पत्रांक 2862 दिनांक 04.11. 2011 के कंडिका 10.8 में स्पष्ट अंकित है कि सी0डी0पी0ओ0 की अनुशंशा Extraneous reasons से प्रेरित हो तो उनके विरूद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही की अनुशंशा निदेशक समाज कल्याण बिहार,पटना से की जानी चाहिए, यहाँ तो सेविका (अपीलार्थी) को जानबुझ कर तंगतवाह करने के उदेशय से गलत रिर्पोट तैयार कर चयन रद्द करवाया गया है, न तो केन्द्र पर पहुँचा गया, न तो किसी लाभुकों का बयान लिया गया है, इसे पूर्वाग्रह से ग्रसित न माना जाय तो फिर क्या माना जाय? सेविका को अन्ततः उनके कार्य/ व्यवहार के कारण लगभग 3 साल की चयन मुक्ति सजा मिल गई।उन्हें रोड पर लाकर छोड़ दिया।

अतः यह न्यायालय सी0डी0पी0ओ0 महिषी के रिर्पोट को पूर्णतः त्रुटिपूर्ण मानते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के ज्ञापांक 1713–1 दिनांक 11.10.2012 को खंडित करते हुए आदेश निर्गत तिथि से सेविका के पद पर चयन बरकरार रखती है।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.4.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.4.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा